राजस्थान–सरकार
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
अशोक नगर, पोस्ट बॉक्स नम्बर– 86, उदयपुर (राजस्थान) पिन नम्बर– 313001

समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ

क्रमांकः–एफ. (प्रशि.)अन्य कोचिंग/टीआरआई/2020–21/ 1909 दिनांकः– 29/12/2020

खुली निविदा सूचना – 02/2020–21

UBN No. :- TAD2021SSOB00025

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा " TAD Super 30" के तहत राज्य के जनजाति छात्र/छात्राओं को निःशुल्क Online RAS-Pre कोचिंग के लिए पंजीकृत फर्मो/कम्पनी से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं	कार्य/व्यवसाय का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपए में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रू. में)
1	Online RAS-Pre कोचिंग	06.00	6000.00	400.00
2	बोली दस्तावेज डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथी		30–12–2020	
3	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय		15-01-2021 at 11.00 AM	
4	तकनीकी/वित्तीय बोली खुलने की तिथि एवं समय		15-01-2021 at 03.00 PM	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)RAS
निदेशक
निदेशक
मा.ला. वर्मा आदिम जाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
उदयपुर (राज.)

राजस्थान–सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

अशोक नगर, पोस्ट बॉक्स नम्बर– 86, उदयपुर (राजस्थान) पिन नम्बर– 313001

No: F( )TRI/RAS Coaching/2020-21/ 1916 Date:- 29/12/2020

NIB No. 02/2020-21

Sealed Proposals are invited by Manikya Lal Verma Tribal Research and Training Institute (TRI) from Companies / Firms for the following works:

Name of the Work	RAS Pre Online Coaching under "TAD super 30"
Estimated Cost of Work	Rs. 6,00,000 (Six Lakh Only)
Tender fee	Rs. 400/- (Four Hundred Only)
EMD	Rs. 6,000/- (Six Thousand Only)
Date of Tender Form Download/ Distribution	30-12-2020 - 4.00 PM to 15-01-2021 11.00 AM
Last date and time for submission of Proposals (Technical /Financial)	15-01-2021 at 11.00 AM
Opening of Technical/ Financial bid	15-01-2021 at 03.00 PM

For details indicating the terms of reference, scope of work and qualifying requirements please refer to the Tender Notice, which may be downloaded from the **website of State Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.gov.in, http://www.tad.rajasthan.gov.in and http://www.tad.rajasthan.gov.in/tri**

निदेशक
मा.ला. वर्मा आदिम जाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
उदयपुर (राज.)

राजस्थान–सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

RAS Pre Online Coaching under "TAD SUPER 30"

Terms & Conditions:–

1. बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. बोली से सम्बन्धित नियम, शर्तें एवं बोली प्रपत्र http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। बोलीदाता के द्वारा डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र का मूल्य रू. 400/– का डी.डी./बी.सी एवं बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी./बी.सी चैक **निदेशक माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर** के नाम से संलग्न कर निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय में में जमा कराना होगा। निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही कार्यालय चैक **निदेशक माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर** में होगी।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. उक्त बोलियों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार **निदेशक माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर** को होगा।
5. **तकनीकी बोली स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्तें** :–
   - A. संस्था द्वारा पर जनजाति छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन कोचिंग प्रदान की जावेगी।
   - B. कोचिंग संस्था को समयबद्ध कोचिंग आयोजित कर प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम समयावधि में पूर्ण कराना होगा।
   - C. कोचिंग संस्थाओं द्वारा निर्धारित तिथि से कोचिंग प्रारम्भ करनी होगी। समय सारणी अथवा तिथि परिवर्तन की सूचना पूर्व तिथि में ई–मेल के द्वारा देना अनिवार्य होगा।
   - D. छात्र / छात्राओं की सूची विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा चयन कर उपलब्ध कराई जावेगी।
   - E. कोचिंग प्रारम्भ करने से पूर्व संस्था द्वारा कोचिंग कार्यक्रम की समय सारणी छात्रों को उपलब्ध करवानी होगी ।
   - F. सभी छात्र/छात्राओं से उनके परीक्षा के रोल नम्बर एकत्रित कर सफल घोषित हुए छात्र/छात्राओं की सूची भिजवानी होगी।
   - G. कोर्स अवधि के दौरान जनजाति विकास विभाग एवं अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। कोचिंग व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर आदेश को निरस्त किया जा सकेगा तथा इस स्थिति में संस्था को भुगतान नहीं किया जावेगा तथा सरकारी नियमानुसार ब्याज सहित राशि जमा करवानी होगी।

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

H. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आर.ए.एस.–प्री हेतु नवीनतम निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली अनुसार विषयों की ऑनलाईन कोचिंग प्रदान करनी होगी।

I. चयनित प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा 500 रूपयें का शपथ पत्र संस्थान (TRI) के बीच MOU देना होगा।

J. ऑनलाईन कोचिंग संस्था के सभी विषयों के विषय विभागाध्यक्ष द्वारा करवाई जावेगी ।

K. ऑनलाईन कोचिंग के वेब लिंक इत्यादि के सम्बन्ध में– चयनित छात्रों से सम्पर्क कर पूर्ण जानकारी देने एवं छात्रों की सन्तुष्टी के उपरान्त ही प्रारम्भ की जावेगी ।

L. ऑनलाईन कोचिंग का वेब लिंक इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना होगा ।

M. विषय विभागाध्यक्ष की सूची बीड के साथ उपलब्ध करानी होगी ।

N. ऑनलाईन कोचिंग प्रारम्भ होने पर प्रथम किश्त 50 प्रतिशत एवं द्वितीय किश्त ऑनलाईन कोचिंग समाप्त होने पर 45 प्रतिशत राशि दी जावेंगी तथा शेष 05 प्रतिशत राशि का भुगतान आर.ए.एस. प्री परीक्षा परिणाम का कमेटी द्वारा समीक्षा पश्चात किया जावेगा।

O. कोचिंग संस्था द्वारा छात्रों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

P. कोचिंग संस्था को छात्रों का पूर्ण विवरण संधारित करना होगा।

Q. कोचिंग संस्था को छात्र/छात्राओं की उपस्थिति के लिऐ उपस्थिति पंजिका संधारित करनी होगी। कोचिंग संस्था में प्रतिदिन फेकल्टी की उपस्थिति पंजिका संधारित करनी होगी।

R. ऑनलाईन कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं की मासिक प्रगति एवं संस्था द्वारा ली गई परीक्षा इत्यादि की समीक्षा कर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान–सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

परिशिष्ट "अ"

–: तकनीकी – क्वालीफाईंग बिड़ :–

जनजाति छात्र–छात्राओं के लिये राजस्थान प्रशासनिक सेवा – प्री (RAS - Pre) की ऑनलाईन प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोचिंग संस्थाओ के चयन के लिए आवेदन–पत्र

1. संस्था का नाम –		....
2. संस्था निदेशक का नाम–		....
3. संस्था का पता	–	.... दूरभाष संख्या .... मो..................................... ईमेल आई.डी. ....
4. क्या संस्था पंजीकृत है? यदि हां तो पंजीयन क्रमांक, एवं दिनांक अंकित करे तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें	–	....
5. निम्न दस्तावेज की प्रति संलग्न करें – (अ) गतवर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन (ब) आय–व्यय के लेखे मय बेलेंस शीट (स) गतवर्ष की ऑडिट रिपोर्ट	–	....

6 संस्था के पास उपलब्ध ऑनलाईन कक्षा आयोजित करने हेतु सुविधाओं का विवरण :

(1) इन्टरनेट एवं ऑनलाईन विषयवस्तु की उपलब्धता

____

(2) ऑनलाईन कक्षा संचालन का पूर्व अनुभव एवं लाभान्वितों की संख्या :

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

7 संस्था के ऑनलाईन टीचिंग स्टॉफ का विवरण :
(अलग–अलग पाठ्यक्रम के लिये अलग–अलग विवरण देवें।)

क्र.स.	शिक्षक का नाम स्थायी / कोन्ट्रेक्ट बेसीस / अस्थायी	शैक्षणिक योग्यता	शैक्षणिक अनुभव	संस्था में कब से कार्यरत है	विषय

8 गत 3 वर्षों में संस्था द्वारा ऑनलाईन प्रदान की गयी आर.ए.एस (प्री) कोचिंग का विवरण

वर्ष 2017–2018

वक्र.स.	परीक्षा जिसकी कोचिंग दी गयी	प्रवेशित अभ्यार्थियों की संख्या		सफल अभ्यार्थियों की संख्या	
		सामान्य	एसटी	सामान्य	एसटी
1	2	3	4	5	6
	आर.ए.एस. (प्री)				

वर्ष 2018–2019

क्र.स.	परीक्षा जिसकी कोचिंग दी गयी	प्रवेशित अभ्यार्थियों की संख्या		सफल अभ्यार्थियों की संख्या	
		सामान्य	एसटी	सामान्य	एसटी
1	2	3	4	5	6
	आर.ए.एस. (प्री)				

वर्ष 2019–2020

क्र.स.	परीक्षा जिसकी कोचिंग दी गयी	प्रवेशित अभ्यार्थियों की संख्या		सफल अभ्यार्थियों की संख्या	
		सामान्य	एसटी	सामान्य	एसटी
1	2	3	4	5	6
	आर.ए.एस. (प्री)				

9 कोचिंग फीस का विवरण (प्रति अभ्यर्थी)

संस्था द्वारा चलाये जा रहे ऑनलाईन राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) – प्री की फीस का विवरण : 30 छात्रों हेतु

क्र. स.	नाम परीक्षा	पाठ्यक्रम की अवधि		फीस रूपया प्रति छात्र		पाठ्यक्रम सामग्री एवं टेस्ट पेपर हेतु राशि प्रति छात्र		कुल राशि
		अवधि माह में	प्रतिदिन कालांश	अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) – प्री							

10. संस्था की विगत 03 वर्षो में ऑनलाईन कक्षाओं में अर्जित की गई उपलब्धियों का विवरण

....

....

....

....

....

....

....

....

11. ऑनलाईन क्लासेज हेतु कोचिंग संस्था की ओर से उत्तरदायी समन्वयक का नाम मय मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल :

....

....

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है। मैं उक्त समस्त शर्तों के अनुसार कोचिंग कराने के लिए सहमत हूं। यदि आवेदन–पत्र में उल्लेखित कोई तथ्य गलत/ मिथ्यापूर्ण पाया गया तो मैं उसके लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा।

स्थान : ....

दिनांक : ....

**संस्था के अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर
मय सील**

संलग्न : (दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपिया)
संख्या एवं विवरण :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

खुली प्रतियोगी बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट :–बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा इनकी पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
2. वित्तीय प्रपत्र में दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियॉ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियॉ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
3. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
4. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता **(disqualification)** होगी।

5. **बातचीत (Negotiation)**:–

   (i) जहां तक संभव हो बोलीकारों से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:–

   (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमते (Ring Price) दी गई हो

   (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

   (ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

6. **बोली प्रतिभूति राशि (Bid security)**:–

   (क) बोली के साथ कुल रू. 6,000/– की बोली बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

   (ख)**बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय** :– असफल बोलीदाता की बयाना राशि को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

   (ग) **बोली प्रतिभूति राशि से आंशिक छूट**:– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये बोली के अनुमानित मूल्य के ***1/2 प्रतिशत*** दर पर बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

   (घ) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपकमों निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

(ड़) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रदद् की गई बोलियों के सम्बन्ध में या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई बोलीओ के लिए बोली प्रतिभूति राशि / प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोलीओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

7. **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण** :– बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपहृत कर लिया जाएगा :–

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता हैं।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हैं।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।

(iv) वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

8. (1) **करार एवं कार्य सम्पादित प्रतिभूतिः–**

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए बोलीयां स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 2.5% के बराबर कार्य सम्पादित प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) संविदा में अंकित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन(विलोपित) प्रमाण–पत्र मूल रूप में, या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बोली प्रतिभूति राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे बोली के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी। और अमानत राशि अनुमोदित मात्रा के मूल्य की एक प्रतिशत ली जावेगी ।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादित प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(iii) **कार्य सम्पादित प्रतिभूति का समपहरण** :– कार्य सम्पादान प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(iv) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

9. **भुगतान** :–

ऑनलाईन कोचिंग प्रारम्भ होने पर प्रथम किश्त 50 प्रतिशत एवं द्वितीय किश्त ऑनलाईन कोचिंग समाप्त होने पर 45 प्रतिशत राशि दी जावेंगी तथा शेष 05 प्रतिशत राशि का भुगतान आर.ए.एस. प्री परीक्षा परिणाम का कमेटी द्वारा समीक्षा पश्चात किया जावेगा।

10. (i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) **परिसमापित नुकसानी**:– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं :–(इस संबध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अकिंत की गई शर्ते ही लागु होगी।)

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

11. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यकवाही कर रद्‌द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि केता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

12. केता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्‌द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

13. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ति करेगा। उस अधिकारी का इस संविदा से संबंध नही होगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

14. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा उदयपुर (राजस्थान) में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

15. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा – 80 में वर्णित सत्य निष्ठा की अर्हता बोलीदाता पर लागू होगी।

16. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान लागू होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure-'A'

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:-

Any person participating in a procurement process shall-

a) Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
f) Not obstruct any investigation or audit of procurement process,
g) Disclose conflict of interest, if any, and
h) Disclose any previous transgression with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST:-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations

1. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one Bid; or

f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or

g. The bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder with Seal

Date:

Name:

Designation:

Address:

Annexure-'B'

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

The designation and address of the First Appellate Authority is ....
....
The designation and address of the Second Appellate Authority is..
....

1. Filling an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial Bids, and appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) will deal with the appeal as expeditiously as possible and will Endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases:-

No appeal will lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provision limiting participating of bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

5. Form of Appeal:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above will be in the annexed Form along with many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal will be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal will be rupees two thousand five hundred and for second appeal will be rupees ten thousand, which will non-refundable.

(b) The fee will be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal:-

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, upon filing of appeal, will issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, will,-

  (i) Hear all the parties to appeal present before him; and

  (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned will pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.

(d) The order passed under sub-clause © above will be place on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

राजस्थान–सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ....of......................
Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s)

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or mission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....
....
(supported by an affidavit)

7. Prayer :

....
....

Place......................
Date.......................

Appellant's Signature

राजस्थान–सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

Annexure-'C'

DECLARATION BY BIDDERS (To be filled by the Bidder)

(On Rs. 500/- non judicial stamp paper duly attested by Notary Public)

To,

निदेशक,
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उदयपुर।

In response to the NIB Refine -- dated------------------- for {project title}, as Owner/partner/Director/Auth.sign Of---I/We hereby declare that presently our Company/Firm-------------------------------------at the time of bidding.

a) Possess the necessary professionals, technical and financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;

b) have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the state Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

c) is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/Central government/ PSU/UT.

d) does not have any previous transgressions with any entity in India or other country during the last three years

e) does not have any debarment by any other procuring entity

f) is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

g) does not have, and our directors and officer not have been convicted of any criminal offence related to their professional's conduct or the making of false statements or misinterpretations as to the their qualifications to enter into a procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;

h) does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition.

i) will comply with the code of integrity as specified in the bidding document.
If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, my / our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Thanking you,

Name of the Bidder: -Authorised

Signatory: -
Seal of the Organization: Date:
Place:

राजस्थान–सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

परिशिष्ट ''ब''

(बोली प्रपत्र–प्राईस बिड)

1. बोलीदाता का नाम व पताः– ....
....
2. बोलीदाता का फोन व मोबाईल नम्बर मय ई–मेल सहित :– ....
....
3. रजिस्ट्रेशन क्रमांक/टीन नम्बर ....
4. पेन नम्बर ....
5. जी0एस0टी0 नम्बर ....
6. बिड प्रपत्र की राशि– 400/–रूपये डी0डी0/रसीद संख्या———————— दि0——————
7. धरोहर राशि ——————— रूपये बैंकर्स चेक/डी0डी0/रसीद संख्या ——————— दिनांक——————— बैक का नाम———————————— संलग्न है ।
8. मै/हम माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या 01/2020–21 दिनांक——————— में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र में अंकित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते है।
9. कार्य का विवरण– Online RAS-Pre
   निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगीः–

Sl. No	Particualars	Qty	Units	Unit Price (In Rs.) (Inclusive GST and all govt. taxes, charges and other levies)		Total Rate (In Rs.) (Inclusive GST and all govt. taxes, charges and other levies)	
				राशि अंको में	राशि शब्दो में	राशि अंको में	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5	6	7 (3*5)	8 (3*6)
1	Online RAS-Pre कोचिंग as per tender document	30	Students				

नोटः–

1. दरें शब्दों एवं अंको दोनों रूप में लिखी जावें। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें।
2. अस्पष्ट वाक्य जैसेः– टैक्स पेड, कर सहित, 'एज एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावें।
3. वित्तीय बिड का लिफाफा पृथक से सील्ड करके रखा जाना चाहिए।
4. न्यूनतम दर उपरोक्त समस्त सामग्री की दरों के योग के आधार पर अर्थात समेकित आधार पर तय की जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर